न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/96/2021	2021/215	16.12.2021	29.08.2022

1. आजाद पुत्र श्री गुच्छा, जाति मेव, निवासी डाबला मेव, तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. पटवारी हल्का पलवा, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.2021 तहसीलदार राजगढ प्रकरण संख्या 56/2021

उपस्थितः—

01. श्री संजीव जैन —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 27.10.2021 प्रकरण संख्या 56/2021 जिसके द्वारा संवत 2078 वाके ग्राम डाबला मेव की आराजी खसरा न0 356 रकबा 0.45 है0 किस्म चारागाह बारानी 02 में से अतिक्रमित रकबा 0.15 है0 में जोत लगाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर बेदखली की कार्यवाही किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल बन्दोवस्त संवत 2046 के अनुसार हाल खसरा न0 346, 347 साबिक खसरा न0 194 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा तथा हाल आराजी खसर न0 346 लगायत 353, 355 से 359 तक साबिक आराजी खसरा न0 197 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा तथा बन्दोवस्त संवत 2020 के अनुसार उक्त आराजियात के साबिक खसरा न0 172 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा व 173 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम डाबला मेव तहसील राजगढ में स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय खातेदारी काश्तकारी की आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही थी, तत्समय काश्तकारों के निष्क्रांत/मफरूर हो जाने के पश्चात उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में कस्टोडियन दर्ज कर दी गई। तत्पश्चात मिन अपीलान्ट के बुजुर्गान को उक्त वर्णित आराजीयात दिनांक 28.09.1975 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर राजगढ जिला अलवर द्वारा आवंटित कर दी गई। जिसकी राशि भी

(उज्ज्वल राठौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

मिन अपीलान्ट के बुजुर्गान द्वारा जमा करा दी गई। तब से ही अपीलान्ट के बुजुर्गान तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त मिन अपीलान्ट उनके फुटस्टेप में निरन्तर व वदस्तूर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। तत्पश्चात बन्दोबस्त संवत 2020 में उक्त वर्णित आराजीयात को बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा सिवायचक चारागाह गलत व बेजा रूप से दर्ज कर दिया गया। किन्तु अब पटवारी हल्का से मिन अपीलान्ट का विवाद होने के कारण बरंजिश उसके द्वारा आराजी खसरा न0 356 रकबा 0.45 है0 चारागाह बारानी–2 भूमि में से 0.15 है0 वाके ग्राम डाबला मेव तहसील राजगढ में स्थित भाग पर जोत लगाकर अतिक्रमण किए जाने तथा पूर्व अतिक्रमी का बिना साक्ष्य कथन करते हुए रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का पलवा द्वारा एक रिपोर्ट साइक्लो स्टाईल में छपे हुए प्रपत्र को भरते हुए इस आशय की प्रस्तुत की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी तारीख पेशी 08.09.2021 वास्ते तलवी नियत कर दी गई। अपीलान्ट को विधिवत साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं देते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा में पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखली एवं एक माह का सिविल कारावास के आदेश पारित कर दिए गए और एस0एच0 थाना राजगढ को अपीलान्ट के विरूद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर दिए गए जिसकी सूचना अपीलान्ट को 01.12.2021 को दैनिक समाचार पत्र के पढने से प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय से आलोच्य आदेश की नकल प्राप्त कर बिना देरी अपील न्यायालय श्रीमान में पेश कर दी गई। मियाद बिन्दु का प्रार्थना पत्र दफा 05 पृथक से संलग्न पत्रावली कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कान्ट्रेरी टू लॉ एवं प्रोसीजर के विपरीत पारित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अपील के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी मुतनाजा तत्समय अपीलान्ट व उनके अन्य परिवारजन व ग्रामवासियान को दिनांक 25.09.1975 को कस्टोडिन विभाग के सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर राजगढ द्वारा खसरा न0 194 व 197 भौतिक कब्जे के अनुसार आवंटित की गई थी। जिसकी राजस्व राशि भी नियमानुसार तत्समय जमा करा दी गई। जिस रिकॉर्ड की प्रतिलिपि संलग्न है। रिकॉर्ड में मिलान क्षेत्रफल संवत 2046, तहसीलदार कम मैंनेजिंग ऑफिसर राजगढ के आवंटन आदेश दिनांक 28.09.1975, चालान प्रति 30.09.1975, नामान्तकरण संख्या 113, 116, 117, 118 की प्रति पेश की गई। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निरस्त फरमावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलान्ट को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का पालन करते हुए तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने तथा जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के पश्चात ही प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था। जिस कारण उक्त अपील स्वीकार की जाकर रिमान्ड किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 27.10.2021 आराजी खसरा न0 356 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम डाबला मेव को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे की अपील में वर्णित वजूहातों पर विधि व तथ्य अनुसार गौर फरमाते हुए मिन अपीलान्ट को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करें। जिसके समर्थन में दृष्टांत 2021(2) आर0आर0टी01182 पेश की गई।

अपीलान्ट द्वारा अपील करने में हुए विलम्ब को माफ किए जाने हेतु दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अतः तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

(व.र.) [signature]
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का पलवा द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया जो अतिक्रमी को विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा बावजूद नोटिस तामील न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव पेश नहीं किया गया। इसलिए अतिक्रमी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। पटवारी हल्का पलवा के बयान दिनांक 24.09.2021 को लिए गए जिसमें मिन अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया गया है एवं दैनिक डायरी दिनांक 09.06.2021 में अपीलान्ट अतिक्रमी को बेदखल किये जाने की टिप्पणी अंकित है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ से ली गई। तहसीलदार राजगढ के पत्रांक 151 दिनांक 19.01.2022 के द्वारा पटवारी हल्का पलवा की मूल मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा आवंटन आदेश 28.09.1975 एवं चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा इस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं के पक्ष में गैरखातेदारी के रूप में अंकन व मौके पर दखल देने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए चूंकि अपीलान्ट ने अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में राजकीय चारागाह बारानी–2 भूमि दर्ज रिकार्ड है जो संवत 2020 से पूर्व के रिकॉर्ड नामान्तकरण संख्या 113, 116, 117, 118 के द्वारा कस्टोडियन विभाग को प्राप्त हुई भूमि है। अपीलान्ट आवन्टन आदेश दिनांक 28.09.1975 के संबंध में अपने हक हकूक तय करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोहि करने के लिए स्वतंत्र है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट को प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के पारित निर्णय में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 27.10.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/08/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)